

आदेश

मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के शासनादेश सं० 635/USDMA/792(2020) दिनांक 19 सितम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की कमवार समाप्ति (Unlock-4) के संबंध में दिये गये समस्त दिशा-निर्देश जनपद में यथावत् लागू रहेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि तालाबन्दी की कमवार समाप्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 625/USDMA/792(2020) दिनांक 19 सितम्बर, 2020, शासनादेश संख्या 505/USDMA/792(2020) दिनांक 04 अगस्त, 2020 पत्र संख्या 575/USDMA/792(2020) दिनांक 01 सितम्बर, 2020, 609/USDMA/792(2020) दिनांक 11 सितम्बर, 2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं० 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 अगस्त 2020 में दिये गये समस्त दिशा-निर्देशों का सर्व संबंधित अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोपरि।

(एस०एस० जंगापांगी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।

पत्रांक 1413/कोविड-19/2020

दिनांक 24 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल।
2. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०, प्र०) नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5. नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी।
6. नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी/ समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद नैनीताल।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, नैनीताल।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद नैनीताल।
11. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

ADM/CC/ARA

S7

Dm(NTU)
23/9/2020

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमार्थू एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 22, सितम्बर, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति (Unlock-4) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

The instructions related to the entry of Tourists (D. Tourists- D1, D2, D3, D4 and D5), issued through the order No. 625/ USDMA/ 792 (2020) Dated 19th September 2020, is hereby modified as given below.

D: Tourists

D.1. For the tourist coming to Uttarakhand by all modes of transportation, a registration is MANDATORY on the Smart City web portal <http://smartcitydehradun.uk.gov.in> prior to their travel.

D.2. Requirement of mandatory stay of minimum two days in hotel/ homestay will not be applicable anymore.


D.3. It is not mandatory for the tourist to bring Covid-negative test report before check-in in hotel/ homestay. However, checks like thermal scanning, sanitization and other prescribed health protocols for hotels and restaurants must be complied with. If so required, the hotel management may frame their own procedure for tourists coming to their hotel.

D.4. If any tourist is found Covid positive then the hotel management shall intimate the District Administration immediately. District Administration shall make an arrangement for random checks to ensure that compliance of MHA and MoHFW, GoI guidelines by the Hotel Management/ Homestay owners.

This order supersedes the order No. 625/ USDMA/ 792 (2020) Dated 19th September 2020, with respect to the directions related to the Tourists (D. Tourists-D1, D2, D3, D4 and D5) only, rest of the directions in the above order, shall remain in force till further orders.

This order shall come into force from 23rd September 2020.

भवदीय,



(अेम प्रकाश)

मुख्य सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्चन्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्री गणकोमा, मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञासे,



(एस.एस. मुरुगेशन)

सचिव(प्रभारी)